

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारों ॥

मंगलवार 26 मार्च, 2002 / चैत्र 5, 1924 ॥ शक ॥

संख्या : 193

सदस्य की नजर बन्दो एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधान सभा को संबोधित उपायुक्त पुलिस, दक्षिण पश्चिमो जिला का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह यादव दिनांक 24.3.2002 को पूर्वाह्न 11.30 बजे, पुलिस को विधि-सम्मत निर्देशों को अज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 को धारा 65 के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय सेक्टर एक द्वारिका के सामने से नजरबन्द किया गया।

तथा उन्हें उसी दिन अर्थात् 24.3.2002 को अपराह्न 1.50 बजे डाब्री थाने से रिहा कर दिया गया।

एस.के. शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART -II

(General information relating to Legislative & other matters)

Tuesday, 26th March, 2002/ Chaitra, 5, 1924 (Saka)

No. 193

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Addl. Dy. Commssioner of Police, South West District, N. Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Mahender Yadav, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi was detained outside the MCD Primary School, Sector-I, Dwarka U/s 65 Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of Police at 11.30 AM on 24.3.2002.

He was released at 1.50 PM on the same day i.e. 24.3.2002 from P.S. Dabri."

S.K. SHARMA
SECRETARY